

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी संगरिया
पीठासीन अधिकारी:—उम्मेद सिंह रतनू आर.ए.एस.
प्रकरण संख्या:—26 / 2019
वादपत्र अन्तर्गत धारा :-88,53 आरटीए

- | | |
|---------------------|---|
| 1. राजेन्द्र प्रसाद | पुत्रगण नत्थूराम जाति जाट निवासी ढाणी 2 डीएलपी नाथवाना
तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ़ (राज.) |
| 2. हंसराज | |
| 3. दलीप कुमार | |

वादीगण

बनाम

- 1 कमला पत्नी नत्थूराम जाति जाट निवासी ढाणी 2 डीएलपी नाथवाना तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ़
- 2 विमला पुत्री नत्थूराम पत्नी रामप्रताप जाति जाट निवासी डबलीबास तहसील जिला हनुमानगढ़ हनुमानगढ़ ।
- 3 ओमप्रकाश पुत्र लेखराम जाति जाट निवासी ढाणी 2 डीएलपी नाथवाना तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ़ ।
- 4 भैराराम पुत्र लेखराम जाति जाट निवासी ढाणी 2 डीएलपी नाथवाना तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ़ ।
- 5 भूपसिंह पुत्र लेखराम जाति जाट निवासी ढाणी 2 डीएलपी नाथवाना तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ़ ।
- 6 मोहन लाल पुत्र हेतराम जाति जाट निवासी ढाणी 2 डीएलपी नाथवाना तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ़ ।
- 7 अल्का पत्नी हेतराम जाति जाट निवासी ढाणी 2 डीएलपी नाथवाना तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ़ ।
- 8 रिटा पुत्री हेतराम पत्नी मालाराम जाति जाट निवासी गुलाबगढ़ तहसील पल्लू जिला हनुमानगढ़ ।
- 9 कृष्णादेवी पुत्री हेतराम पत्नी राजूराम जाति जाट निवासी गुलाबगढ़ तहसील पल्लू जिला हनुमानगढ़ ।
- 10 रामीदेवी पुत्री लेखराम पत्नी हरलाल जाति जाट निवासी सीरासर तहसील व जिला हनुमानगढ़ ।
- 11 शान्तिदेवी पुत्री लेखराम पत्नी भादरराम जाति जाट निवासी बेहरवालाकलां तहसील तलवाड़ाझील जिला हनुमानगढ़ ।
- 12 रमेश कुमार पुत्र देवीलाल जाति जाट निवासी रतनपुरा तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ़ ।
- 13 राजेन्द्र कुमार पुत्र देवीलाल जाति जाट निवासी रतनपुरा तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ़ ।
- 14 सुशील कुमार पुत्र हंसराज जाति जाट ढाणी 2 डीएलपी नाथवाना तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ़ ।
- 15 सुमित्रा पत्नी महेन्द्र जाति जाट निवासी रतनपुरा तह. संगरिया जिला हनुमानगढ़ ।
- 16 पृथ्वीराज पुत्र पूर्णराम जाति जाट निवासी नगराना तह. संगरिया जिला हनुमानगढ़ ।
- 17 बैंक ऑफ बडौदा शाखा संगरिया ।
- 18 ओरियन्टल बैंक ऑफ कॉमर्स शाखा नगराना ।
- 19 स्टेट बैंक ऑफ पटियाला शाखा संगरिया ।
- 20 तहसीलदार राजस्व संगरिया ।
- 21 तहसीलदार राजस्व टिब्बी ।

उपस्थित :-

- 1- श्री बलवन्त सिंह झोरड- वकील वादीगण
- 2- श्री संजय धारणियां - वकील प्रति सं. 1 ता 9, 12 ता 15
- 3- श्री राजेश बुढानियां - वकील प्रतिवादी संख्या 16
- 4- श्री रविन्द्र भोबिया- वकील प्रतिवादी संख्या 18

निर्णय

दिनांक :- 27.09.2019

अधिवक्ता वादीगण द्वारा एक राजस्व वाद अन्तर्गत धारा 88,53 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत प्रस्तुत किया जिसके अनुसार वादीगण एवं प्रतिवादीगण का पंजीयत पता सिविल प्रक्रिया संहिता के आज्ञापक प्रावधानों के अनुसार वही है जो वाद शीर्षक में दर्ज है। वादीगण व प्रतिवादी संख्या 1 ता 11 हिन्दु संयुक्त परिवार के सदस्य है। वादीगण के पिता नत्थराम का देहान्त हो चुका है। वादीगण व प्रतिवादी संख्या 1 ता 11 कि हिन्दु सहदायिक सम्पति वर्तमान में वादीगण व प्रतिवादी संख्या 1 ता 11 पिता/पति व प्रतिवादी संख्या 3 ता 6 तथा 7 ता 11 के पिता के नाम से संगरिया तहसील के चक 2 डीएलपी के खाता संख्या 51/48, 77/71, 10/7, 9/6 वक चक 13 एसबीएन के खाता संख्या 63/108 व वादीगण व प्रतिवादी संख्या 1 ता 9 के दादा के नाम से चक 2 एनजीआर के खाता संख्या 34/36 व चक 10 एसबीएन के खाता संख्या 115/121 में कृषि भूमि दर्ज राजस्व रिकार्ड है।

वाद पत्र की चरण संख्या 2 में वर्णित कृषि भूमि वादीगण व प्रतिवादी संख्या 1 ता 11 ने काश्त कि सुविधानुसार आपस में घरू विभाजन कर लिया है। घरू विभाजन अनुसार वादीगण द्वारा मौका पर घरू विभाजन में प्राप्त कृषि भूमि पर काबिज होकर काश्त कर रहे है। कब्जाकाश्त बाबत कोई विवाद नहीं है। घरू विभाजन में वादीगण को प्राप्त कृषि भूमि का विवरण निम्नप्रकार से है वादीगण के हक व हिस्सा की बहिब कृषि भूमि पं.नं. 166/191 मु.न. 36 किला नं. 24/0.253 है. 25/0.126 है. पं.नं. 164/191 मुं.नं. 38 किला नं. 13/0.025 है. 18/0.253 है. चक 2 डीएलपी खाता संख्या 77/71 पं.नं. 166/191 मु.नं. 36 किला नं. 18/2/0.126 है. 23/0.253 है. पं.नं. 164/191 मु.नं. 38 किला नं. 14/0.025 है. 15/0.025 है. चक 2 डीएलपी खाता संख्या 51/48 पं.नं. 166/191 मु.नं. 36 किला नं. 18/0.127 है. 19/0.253 है. पं.नं. 165/191 मु.नं. 37 किला नं. 16/0.228 है. 17 ता 20/0.253 है. प्र. गै.मुम. खाला/0.025 है. पं.नं. 164/191 मु.नं. 38 किला नं. 16/0.215 है. 17/0.253 है. गै. मुम. रास्ता/0.038 है. चक 13 एसबीएन खाता संख्या 63/108 पं.नं. 174/209 मु.नं. 34 किला नं. 20/0.146 है. 21/0.147 है. पश्चिमी दिशा वादीगण को चक 2 डीएलपी खाता संख्या 10/7 में 0.657 है. का खातेदार काश्तकार घोषित कर प्रतिवादी संख्या 3 का इसी हद तक हिस्सा कम किया जावे, इसी चक के खाता संख्या 77/71 में वादीगण को 0.429 है. का खातेदार काश्तकार घोषित कर प्रतिवादी संख्या 4 का इसी हद तक हिस्सा कम किया जावे। इसी चक के खाता संख्या 51/48 में वादीगण को 2.151 है. का खातेदार काश्तकार घोषित किया जाकर खातेदार काश्तकार नत्थूराम का नाम कलमजन किया जावे। इसी चक के खाता संख्या 9/6 में वादी संख्या 1को 0.506 है. वादी संख्या 2 को 0.127 है. वादी संख्या 3 को 0.293 है. का खातेदार काश्तकार घोषित कर खातेदार काश्तकार नत्थूराम का नाम कलमजन किया जावे वादीगण अधिकारी व दावेदार है। वादीगण मौका पर वादपत्र की चरण संख्या 4 के अनुसार ही काबिज है। कब्जाकाश्त बाबत किसी तरह का कोई विवाद नहीं है लेकिन राजस्व रिकार्ड में सांझा खाता में अंकित होने से वादी के खातेदारी अधिकारो पर बुरा

असर पड़ता है व रकम राज वाटरमेट शुल्क आदि राज्य सरकार को अदा करने में कठिनाईया आती है। इसलिए वादीगण ने प्रतिवादीगण से कई बार कहा कि आप विवाद ग्रस्त आराजी का वादी को वादपत्र कि चरण संख्या 4 व 5 के अनुसार कृषि भूमि की घोषणा व विभाजन होना मान लो व इसी अनुसार खाता अलग अलग करवा दो तो प्रतिवादीगण पहले तो टालमटोल करता रहे लेकिन अत में सप्ताह वादीगण की बात मानने से कतई तौर पर ईन्कार हो गये। यही वाद कारण है।

उपरोक्त तथ्यों के आधार पर वाद प्रस्तुत होने पर सिगेदार की रिपोर्ट ली गई। वाद-पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया। प्रतिवादी संख्या 16 की ओर स जवाब दावा मय काउन्टर क्लम पेश किया जो शामिल पत्रावली किया गया। प्रतिवादी संख्या 1 व 2, 7 ता 9 ने जरिये अधिवक्ता जवाबदावा मय इकबालदावा पेश किया जो शामिल पत्रावली किया गया। प्रतिवादी संख्या 10 व 11 ने जरिये अधिवक्ता जवाब दावा पेश किया जो शामिल पत्रावली किया गया। प्रतिवादी संख्या 3 ता 6, 14 व 15 ने जरिये अधिवक्ता राजीनामा मय पक्षकारों की आईडी की चित्रप्रतियां स्वहस्ताक्षरित पेश किया जो शामिल पत्रावली किया गया। प्रतिवादी संख्या 18 व 20 स्टेट की ओर से जवाब दावा प्रस्तुत हुआ जिसे शामिल मिसल किया गया। वकील वादीगण एवं प्रतिवादीगण साक्ष्य पेश नहीं करना चाहते है इसलिए साक्ष्यवादी एवं प्रतिवादी बन्द किये गये। वकील वादीगण ने नत्थूराम के मृत्यु प्रमाण मय वारिसान तस्तदीक प्रमाण पत्र की फोटो प्रति एवं लेखराम का मृत्यु प्रमाण मय वारीसान तस्तदीक प्रमाण पत्र की फोटो प्रति पेश की जो शामिल पत्रावली किया गया। तथा चक 2 डीएलपी में लेखराम के नाम से जारी बासबुक की फोटो प्रति पेश कि गई जो शामिल पत्रावली। वकील वादीगण ने फार्म नं. 3 के साथ निम्न दस्तावेज प्रस्तुत कर निम्नानुसार प्रदर्श करवाये :-

1. चक 2 डीएलपी की जमाबन्दी सम्वत 2071-2074 खाता संख्या 77/71 खाता भेराराम वगेरा प्रदर्श-1
2. चक 2 डीएलपी की जमाबन्दी सम्वत 2071-2074 खाता संख्या 9/6 खाता रमेश वगेरा प्रदर्श-2
3. चक 2 डीएलपी की जमाबन्दी सम्वत 2071-2074 खाता संख्या 51/48 खाता नत्थूराम वगेरा प्रदर्श-3
4. चक 2 डीएलपी की जमाबन्दी सम्वत 2071-2074 खाता संख्या 10/7 खाता ओमप्रकाश वगेरा प्रदर्श-4
5. चक 13 एसबीएन की जमाबन्दी सम्वत 2070-2073 खाता संख्या 63/108 खाता नत्थूराम वगेरा प्रदर्श-5
6. चक 10 एसबीएन की जमाबन्दी सम्वत 2073-2076 खाता संख्या 115/121 खाता लेखराम वगेरा प्रदर्श-6
7. चक 2 एनजीआर की जमाबन्दी सम्वत 2073-2076 खाता संख्या 34/36 खाता पृथ्वीराज वगेरा प्रदर्श-7
8. चक 2 एनजीआर की जमाबन्दी सम्वत 2073-2076 खाता संख्या 66/65 खाता लेखराम वगेरा प्रदर्श-8

वकील वादीगण ने पैतृक सम्पति साक्ष्य में जमाबन्दी चक 2 डीएलपी की जमाबन्दी सम्वत 2071-2074 खाता संख्या 77/71 खाता भेराराम वगेरा प्रदर्श-1, चक 2 डीएलपी की जमाबन्दी सम्वत 2071-2074 खाता संख्या 9/6 खाता रमेश वगेरा प्रदर्श-2, चक 2 डीएलपी की जमाबन्दी सम्वत 2071-2074 खाता संख्या 51/48 खाता नत्थूराम वगेरा प्रदर्श-3, चक 2 डीएलपी की जमाबन्दी सम्वत 2071-2074 खाता संख्या 10/7 खाता ओमप्रकाश वगेरा प्रदर्श-4, चक 13 एसबीएन की जमाबन्दी सम्वत 2070-2073 खाता संख्या 63/108 खाता नत्थूराम वगेरा प्रदर्श-5, चक 10 एसबीएन की जमाबन्दी सम्वत 2073-2076 खाता संख्या 115/121 खाता लेखराम वगेरा प्रदर्श-6, चक 2 एनजीआर की जमाबन्दी सम्वत 2073-2076 खाता संख्या 34/36 खाता पृथ्वीराज वगेरा

प्रदर्श-7, चक 2 एनजीआर की जमाबन्दी सम्वत 2073-2076 खाता संख्या 66/65 खाता लेखराम वगेरा प्रदर्श-8 की प्रति पेश गई जो शामिल पत्रावली है।

बहस उभय पक्ष विद्वान अधिवक्तागण सुनी गई। बहस में वकील वादीगण ने कथन किया कि चक 2 डीएलपी के खाता संख्या 51/48, 77/71, 10/7, 9/6 वक चक 13 एसबीएन के खाता संख्या 63/108 व चक 2 एनजीआर के खाता संख्या 34/36 व चक 10 एसबीएन के खाता संख्या 115/121 में दर्ज है जो हमारी जद्दी जायदाद है। बहस में यह भी कथन किया कि वादीगण के वाद का प्रतिवादीगण ने कोई विरोध नहीं किया इस आधार पर वादपत्र को स्वीकार किया जावे है। पैतृक सम्पति साबति करने हेतु बतौर साक्ष्य में वकील वादीगण ने चक 2 डीएलपी की जमाबन्दी सम्वत 2071-2074 खाता संख्या 77/71 खाता भेराराम वगेरा प्रदर्श-1, चक 2 डीएलपी की जमाबन्दी सम्वत 2071-2074 खाता संख्या 9/6 खाता रमेश वगेरा प्रदर्श-2, चक 2 डीएलपी की जमाबन्दी सम्वत 2071-2074 खाता संख्या 51/48 खाता नत्थुराम वगेरा प्रदर्श-3, चक 2 डीएलपी की जमाबन्दी सम्वत 2071-2074 खाता संख्या 10/7 खाता ओमप्रकाश वगेरा प्रदर्श-4, चक 13 एसबीएन की जमाबन्दी सम्वत 2070-2073 खाता संख्या 63/108 खाता नत्थूराम वगेरा प्रदर्श-5, चक 10 एसबीएन की जमाबन्दी सम्वत 2073-2076 खाता संख्या 115/121 खाता लेखराम वगेरा प्रदर्श-6, चक 2 एनजीआर की जमाबन्दी सम्वत 2073-2076 खाता संख्या 34/36 खाता पृथ्वीराज वगेरा प्रदर्श-7, चक 2 एनजीआर की जमाबन्दी सम्वत 2073-2076 खाता संख्या 66/65 खाता लेखराम वगेरा प्रदर्श-8 जमाबन्दी प्रमाणित चित्रप्रति पेश की है के आधार पर वादपत्र में वर्णित आराजी पैतृक सम्पति होना साबित होने से वादपत्र स्वीकार किये जाने का निवेदन किया।

दस्तावेजों का गहराई से अध्ययन किया गया। बहस अधिवक्ता पर मनन किया गया। वादीगण ने वारिसान तस्दीक हेतु प्रस्तुत लेखराम व नत्थूराम के वारिसनामा के अनुसार वादपत्र में पक्षकार संयोजित किये गये है। राजस्व रिकार्ड में दर्ज उक्त आराजी चक 2 डीएलपी की जमाबन्दी सम्वत 2071-2074 खाता संख्या 77/71 खाता भेराराम वगेरा प्रदर्श-1, चक 2 डीएलपी की जमाबन्दी सम्वत 2071-2074 खाता संख्या 9/6 खाता रमेश वगेरा प्रदर्श-2, चक 2 डीएलपी की जमाबन्दी सम्वत 2071-2074 खाता संख्या 51/48 खाता नत्थुराम वगेरा प्रदर्श-3, चक 2 डीएलपी की जमाबन्दी सम्वत 2071-2074 खाता संख्या 10/7 खाता ओमप्रकाश वगेरा प्रदर्श-4, चक 13 एसबीएन की जमाबन्दी सम्वत 2070-2073 खाता संख्या 63/108 खाता नत्थूराम वगेरा प्रदर्श-5, चक 10 एसबीएन की जमाबन्दी सम्वत 2073-2076 खाता संख्या 115/121 खाता लेखराम वगेरा प्रदर्श-6, चक 2 एनजीआर की जमाबन्दी सम्वत 2073-2076 खाता संख्या 34/36 खाता पृथ्वीराज वगेरा प्रदर्श-7, चक 2 एनजीआर की जमाबन्दी सम्वत 2073-2076 खाता संख्या 66/65 खाता लेखराम वगेरा प्रदर्श-8 करवाई गई जिससे वादपत्र में वर्णित आराजी पैतृक सम्पति होना साबित है। वादीगण एवं प्रतिवादीगण ने आपस में आराजी की घोषणा बाबत सहमति के जवाबदावा पेश किया है। दस्तावेजी साक्ष्यों से वाद वादीगण साबित है। पक्षकारान के मध्य कोई विवाद नहीं है। इसलिए प्रकरण में तनकीयात कायम किये जाने की आवश्यकता नहीं है। उपरोक्त विवेचनानुसार प्रतिवादी संख्या 16 के काउन्टर क्लेम का वादीगण ने कोई विरोध नहीं किया गया इसलिए काउन्टर क्लेम एव वाद वादीगण मुताबिक राजीनामा व सहमति के जवाबदावा व पैतृक सम्पति के साक्ष्य के आधार पर काबिल स्वीकार होने से स्वीकृत किया जाता है।

क्रियात्मक आदेश

अतः वाद वादीगण मुताबिक राजीनामा मय सहमति के जवाब दावा के आधार पर वाद वादीगण तथा प्रतिवादी संख्या 16 का काउन्टर क्लेम निम्नानुसार डिक्री किया

जाता है कि :- वादीगण को चक 2 डीएलपी खाता संख्या 10/7 में 0.644 है। कृषि भूमि का बहिब कि दर से खातेदार काश्तकार घोषित कर प्रतिवादी संख्या 3 का इसी हद तक हिस्सा कम किया जावे, इसी चक के खाता संख्या 77/71 में वादीगण को 0.429 है। कृषि भूमि का बहिब कि दर का खातेदार काश्तकार घोषित कर प्रतिवादी संख्या 4 का इसी हद तक हिस्सा कम किया जावे। इसी चक के खाता संख्या 51/48 में वादीगण को 2.151 है। कृषि भूमि का बहिब कि दर से का खातेदार काश्तकार घोषित किया जाकर खातेदार काश्तकार नत्थूराम का नाम कलमजन किया जावे। इसी चक के खाता संख्या 9/6 में वादी संख्या 1 को 0.506 है। प्रतिवादी संख्या 14 को 0.127 है। व वादी संख्या 3 को 0.885 है। का खातेदार काश्तकार घोषित कर खातेदार काश्तकार नत्थूराम का नाम कलमजन किया जावे। चक 13 एसबीएन के खाता संख्या 63/108 में वादीगण को 0.293 है। कृषि का बहिब कि दर से खातेदार काश्तकार घोषित कर खातेदार काश्तकार नत्थूराम का नाम कलमजन किया जावे। वादीगण को चक 10 एसबीएन खाता संख्या 115/121 में 0.253 है। कृषि भूमि व प्रतिवादी संख्या 4 को 0.253 है। कृषि भूमि का खातेदार काश्तकार घोषित कर उक्त खाता से प्रतिवादी संख्या 14 का इसी हद तक का हिस्सा कम किया जावे। प्रतिवादी संख्या 3 को चक 10 एसबीएन खाता संख्या 115/121 में 2.530 है। कृषि भूमि का खातेदार काश्तकार घोषित कर उक्त खाता से खातेदार काश्तकार लेखराम पुत्र मल्लूराम का नाम कलमजन किया जावे। चक 13 एसबीएन के खाता संख्या 63/108 में प्रतिवादी संख्या 3 का 0.709 है। हिस्सा बढ़ाया जाकर वादी संख्या 1 ता 3 के पिता नत्थूराम व प्रतिवादी संख्या 4 भैराराम का नाम कलमजन किया जावे। प्रतिवादी संख्या 5 का 0.050 है। हिस्सा कम किया जावे। प्रतिवादी संख्या 6 के पिता हेतराम का नाम कलमजन किया जावे। चक 2 डीएलपी के खाता संख्या 10/7 में प्रतिवादी संख्या 4 को 1.493 है। कृषि भूमि का खातेदार काश्तकार घोषित कर उक्त खाता से प्रतिवादी संख्या 3 का नाम कलमजन किया जावे। चक 2 एनजीआर के खाता संख्या 66/65 में प्रतिवादी संख्या 5 को 0.506 है। कृषि भूमि का बहिब की दर से खातेदार काश्तकार घोषित कर खातेदार काश्तकार लेखराम का नाम कलमजन किया जावे। चक 2 एनजीआर के खाता संख्या 34/36 में प्रतिवादी संख्या 5 को 0.405 है। व प्रतिवादी संख्या 6 को 1.366 है। के खातेदार काश्तकार घोषित कर उक्त खाता से खातेदार काश्तकार लेखराम का नाम कलमजन किये जाने के आदेश दिये जाते है तथा निम्नानुसार खाता अलग कायम किया जाने के आदेश दिये जाते है:-

वादीगण के हक व हिस्सा की बहिब कृषि भूमि चक 2 डीएलपी खाता संख्या 10/7 पं.नं. 166/191 मु.न. 36 किला नं. 24/0.253 है। 25/0.126 है। पं.नं. 164/191 मुं.नं. 38 किला नं. 13/0.012 है। 18/0.253 है। चक 2 डीएलपी खाता संख्या 77/71 पं.नं. 166/191 मु.नं. 36 किला नं. 18/2/0.126 है। 23/0.253 है। पं.नं. 164/191 मु.नं. 38 किला नं. 14/0.025 है। 15/0.025 है। चक 2 डीएलपी खाता संख्या 51/48 पं.नं. 166/191 मु.नं. 36 किला नं. 18/0.127 है। 19/0.253 है। पं.नं. 165/191 मु.नं. 37 किला नं. 16/0.228 है। 17 ता 20/0.253 है। प्र. गै.मुम. खाला/0.025 है। पं.नं. 164/191 मु.नं. 38 किला नं. 16/0.215 है। 17/0.253 है। गै.मुम. रास्ता/0.038 है। चक 10 एसबीएन खाता संख्या 115/121 पं.नं. 184/206 मु.न. 75 किला नं. 9/0.253 है। प्रतिवादी संख्या 3 के हक हिस्सा की कृषि भूमि चक 10 एस.बी.एन. खाता संख्या 115/121 पं.नं. 185/209 मु.न. 83 किला नं. 3,4,7,8, 13, 14,17,18,23,24/0.253 है। प्र. चक 13 एसबीएन पं.नं. 174/209 मु.नं. 34 किला नं. 18,19/0.253 है। प्र. 22,23/0.215 है। प्र. गै.मु./0.076 है। प्रतिवादी संख्या 4 के हक हिस्सा की कृषि भूमि चक 10 एसबीएन खाता संख्या 115/121 पं.नं. 184/206 मु.नं. 75 किला नं. 12/0.253 है। चक 2 डीएलपी खाता संख्या 10/7 पं.नं. 165/191 मु.नं. 37 किला नं. 6/0.228 है। 7,8,9,10/0.253 है। प्र. गै.मु./0.025 है। पं.नं. 164/191 मु.नं. 38 किला नं.

13/0.241 है. प्रतिवादी संख्या 5 के हक हिस्सा की कृषि भूमि चक नं. 2 एनजीआर खाता संख्या 66/65 पं.नं. 184/210 मु.नं. 9 किला नं. 16,17/0.253 है.प्र. चक 2 एनजीआर खाता संख्या 34/36 पं.नं. 185/210 मु.नं. 10 किला नं. 2/0.253 है. 3,8/0.076 है.प्र. चक 13 एसबीएन खाता संख्या 63/108 पं.नं. 174/209 मु.नं. 34 किला नं. 20/0.253 है. 21/0.215 है. गै.मु. 0.038 है. प्रतिवादी संख्या 6 के हक हिस्सा की कृषि भूमि चक 2 एनजीआर खाता संख्या 34/36 पं.नं. 185/210 मु.नं. 10 किला नं. 3/0.177 है. 4,7/0.253 है. प्र. 8/0.177 है. 13,14/0.253 है. प्र. प्रतिवादी संख्या 15 के हक हिस्सा की कृषि भूमि चक 2 डीएलपी खाता संख्या 9/6 पं.नं. 173/189 मु.नं. 11 किला नं. 21/0.253 है. पं.नं. 172/189 मु.नं. 12 किला नं. 23,24,25/0.253 है.प्र.

प्रतिवादी संख्या 16 का चक 10 एसबीएन के खाता संख्या 121/112 में 0.506 है. व चक नं. 2 एनजीआर के खाता संख्या 66/65 में से 0.127 है.कम कर चक नं. 2 एनजीआर के खाता संख्या 34/30 में 0.633 है. भूमि का हिस्सा बढ़ाये जाने एवं निम्नानुसारखाता अलग कायम किया जाने के आदेश दिये जाते है:-

चक 10 एसबीएन खाता संख्या 121/112 पं.नं. 184/208 मु.नं. 75 किला नं. 17,19,22/0.253 है.प्र. पं.नं. 184/209 मु.नं. 84 किला नं. 2,3,25/0.253 है.प्र. पं.नं. 185/209 मु.नं. 83 किला नं. 21,22/0.253 है.प्र. कुल कृषि भूमि 2.024 है. चक 2 एनजीआर के खाता संख्या 66/65 पं.नं. 184/210 मु.नं. 9 किला नं. 3,4,5/0.228 है. प्र. 6,7,14,15/0.253 है.प्र. पं.नं. 185/210 मु.नं. 10 किला नं. 1/0.228 है. 9,10,11,12,20/0.253 है.प्र. गै.मु. 0.101 है. कुल कृषि भूमि 3.289 है. मय गै.मु.। पर्चा डिग्री अलग से जारी होकर पत्रावली फैसल शुमार नम्बर से कम होकर दाखिल दफ्तर हो। खर्चा पक्षकारान अपना अपना वहन करेंगे।

निर्णय आज दिनांक 27.09.2019 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(उम्मेद सिंह रतनू)
सहायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी, संगरिया

डिक्री बमुकदमें ईब्तदाई
अ. आदेश 20 नियम 6-7 व्या.प्रक्रियां संहिता
न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी,संगरिया
पीठासीन अधिकारी:-उम्मेद सिंह रतनू आर.ए.एस.
प्रकरण संख्या:- 26/2019

1 राजेन्द्र प्रसाद	पुत्रगण नत्थूराम जाति जाट निवासी ढाणी 2 डीएलपी नाथवाना तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ़ (राज.)
2 हंसराज	
3 दलीप कुमार	

वादीगण

बनाम

- 1 कमला पत्नी नत्थूराम जाति जाट निवासी ढाणी 2 डीएलपी नाथवाना तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ़
- 2 विमला पुत्री नत्थूराम पत्नी रामप्रताप जाति जाट निवासी डबलीबास तहसील जिला हनुमानगढ़ हनुमानगढ़ ।
- 3 ओमप्रकाश पुत्र लेखराम जाति जाट निवासी ढाणी 2 डीएलपी नाथवाना तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ़ ।
- 4 भैराराम पुत्र लेखराम जाति जाट निवासी ढाणी 2 डीएलपी नाथवाना तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ़ ।
- 5 भूपसिंह पुत्र लेखराम जाति जाट निवासी ढाणी 2 डीएलपी नाथवाना तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ़ ।
- 6 मोहन लाल पुत्र हेतराम जाति जाट निवासी ढाणी 2 डीएलपी नाथवाना तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ़ ।
- 7 अल्का पत्नी हेतराम जाति जाट निवासी ढाणी 2 डीएलपी नाथवाना तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ़ ।
- 8 रिटा पुत्री हेतराम पत्नी मालाराम जाति जाट निवासी गुलाबगढ़ तहसील पल्लू जिला हनुमानगढ़ ।
- 9 कृष्णादेवी पुत्री हेतराम पत्नी राजूराम जाति जाट नि.गुलाबगढ़ तह. पल्लू जिला हनुमानगढ़ ।
- 10रामीदेवी पुत्री लेखराम पत्नी हरलाल जाति जाट नि.सीरासर तह. व जिला हनुमानगढ़ ।
- 11शान्तिदेवी पुत्री लेखराम पत्नी भादरराम जाति जाट निवासी बेहरवालाकलां तहसील तलवाड़ाझील जिला हनुमानगढ़ ।
- 12रमेश कुमार पुत्र देवीलाल जाति जाट निवासी रतनपुरा तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ़ ।
- 13राजेन्द्र कुमार पुत्र देवीलाल जाति जाट नि.रतनपुरा तह.संगरिया जिला हनुमानगढ़ ।
- 14सुशील कुमार पुत्र हंसराज जाति जाट ढाणी 2 डीएलपी नाथवाना तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ़ ।
- 15सुमित्रा पत्नी महेन्द्र जाति जाट निवासी रतनपुरा तह.संगरिया जिला हनुमानगढ़ ।
- 16पृथ्वीराज पुत्र पूर्णराम जाति जाट निवासी नगराना तह. संगरिया जिला हनुमानगढ़ ।
- 17बैंक ऑफ बडौदा शाखा संगरिया ।
- 18ओरियन्टल बैंक ऑफ कॉमर्स शाखा नगराना ।
- 19स्टेट बैंक ऑफ पटियाला शाखा संगरिया ।
- 20तहसीलदार राजस्व संगरिया ।
- 21तहसीलदार राजस्व टिब्बी ।

प्रतिवादीगण

यह राजस्व मुकद्मा आज मुझ उम्मेद सिंह रतनू आर.ए.एस. के समक्ष वास्ते इनफिसाल कतई रूबरू हमारे बहाजरी श्री बलवन्त सिंह झोरड़ वकील वादीगण मिन जामिन मुदई श्री संजय धारणियां व राजेष बुडानिया एवं रविन्द्र कुमार भोबिया वकील प्रतिवादीगण मिन जानिब मुदायला पेश होकर हुक्म दिया जाता है व डिग्री दी जाती है:-

वादीगण को चक 2 डीएलपी खाता संख्या 10/7 में 0.644 है. कृषि भूमि का बहिब कि दर से खातेदार काश्तकार घोषित कर प्रतिवादी संख्या 3 का इसी हद तक हिस्सा कम किया जावे, इसी चक के खाता संख्या 77/71 में वादीगण को 0.429 है. कृषि भूमि का बहिब कि दर का खातेदार काश्तकार घोषित कर प्रतिवादी संख्या 4 का इसी हद तक हिस्सा कम किया जावे। इसी चक के खाता संख्या 51/48 में वादीगण को 2.151 है. कृषि भूमि का बहिब कि दर से का खातेदार काश्तकार घोषित किया जाकर खातेदार काश्तकार नत्थूराम का नाम कलमजन किया जावे। इसी चक के खाता संख्या 9/6 में वादी संख्या 1 को 0.506 है. प्रतिवादी संख्या 14 को 0.127 है. व वादी संख्या 3 को 0.885 है. का खातेदार काश्तकार घोषित कर खातेदार काश्तकार नत्थूराम का नाम कलमजन किया जावें। चक 13 एसबीएन के खाता संख्या 63/108 मे वादीगण को 0.293 है. कृषि का बहिब कि दर से खातेदार काश्तकार घोषित कर खातेदार काश्तकार नत्थूराम का नाम कलमजन किया जावे। वादीगण को चक 10 एसबीएन खाता संख्या 115/121 में 0.253 है. कृषि भूमि व प्रतिवादी संख्या 4 को 0.253 है. कृषि भूमि का खातेदार काश्तकार घोषित कर उक्त खाता से प्रतिवादी संख्या 14 का इसी हद तक का हिस्सा कम किया जावे। प्रतिवादी संख्या 3 को चक 10 एसबीएन खाता संख्या 115/121 में 2.530 है. कृषि भूमि का खातेदार काश्तकार घोषित कर उक्त खाता से खातेदार काश्तकार लेखराम पुत्र मल्लूराम का नाम कलमजन किया जावे। चक 13 एसबीएन के खाता संख्या 63/108 में प्रतिवादी संख्या 3 का 0.709 है. हिस्सा बढ़ाया जाकर वादी संख्या 1 ता 3 के पिता नत्थूराम व प्रतिवादी संख्या 4 भैराराम का नाम कलमजन किया जावे। प्रतिवादी संख्या 5 का 0.050 है. हिस्सा कम किया जावे। प्रतिवादी संख्या 6 के पिता हेतराम का नाम कलमजन किया जावे। चक 2 डीएलपी के खाता संख्या 10/7 में प्रतिवादी संख्या 4 को 1.493 है. कृषि भूमि का खातेदार काश्तकार घोषित कर उक्त खाता से प्रतिवादी संख्या 3 का नाम कलमजन किया जावें। चक 2 एनजीआर के खाता संख्या 66/65 में प्रतिवादी संख्या 5 को 0.506 है. कृषि भूमि का बहिब की दर से खातेदार काश्तकार घोषित कर खातेदार काश्तकार लेखराम का नाम कलमजन किया जावे। चक 2 एनजीआर के खाता संख्या 34/36 में प्रतिवादी संख्या 5 को 0.405 है. व प्रतिवादी संख्या 6 को 1.366 है. के खातेदार काश्तकार घोषित कर उक्त खाता से खातेदार काश्तकार लेखराम का नाम कलमजन किये जाने के आदेश दिये जाते है तथा निम्नानुसार खाता अलग कायम किया जाने के आदेश दिये जाते है:-

वादीगण के हक व हिस्सा की बहिब कृषि भूमि चक 2 डीएलपी खाता संख्या 10/7 पं.नं. 166/191 मु.न. 36 किला नं. 24/0.253 है. 25/0.126 है. पं.नं. 164/191 मुं.नं. 38 किला नं. 13/0.012 है. 18/0.253 है. चक 2 डीएलपी खाता संख्या 77/71 पं.नं. 166/191 मु.नं. 36 किला नं. 18/2/0.126 है. 23/0.253 है. पं.नं. 164/191 मु.नं. 38 किला न. 14/0.025 है. 15/0.025 है. चक 2 डीएलपी खाता संख्या 51/48 पं.नं. 166/191 मु.नं. 36 किला नं. 18/0.127 है. 19/0.253 है. पं.नं. 165/191 मु.नं. 37 किला नं. 16/0.228 है. 17 ता 20/0.253 है. प्र. गै.मुम. खाला/0.025 है. पं.नं. 164/191 मु.नं. 38 किला नं. 16/0.215 है. 17/0.253 है. गै. मुम. रास्ता/0.038 है. चक 10 एसबीएन खाता संख्या 115/121 पं.नं. 184/206 मु.न. 75 किला नं. 9/0.253 है. प्रतिवादी संख्या 3 के हक हिस्सा की कृषि भूमि चक 10 एस.बी.एन. खाता संख्या 115/121 पं.नं. 185/209 मु.न. 83 किला नं.

3,4,7,8,13,14,17,18,23,24/0.253 है.प्र. चक 13 एसबीएन पं.नं. 174/209 मु.नं. 34 किला नं. 18,19/0.253 है. प्र. 23,23/0.215 है. प्र. गै.मु./0.076 है. प्रतिवादी संख्या 4 के हक हिस्सा की कृषि भूमि चक 10 एसबीएन खाता संख्या 115/121 पं.नं. 184/206 मु.नं. 75 किला नं. 12/0.253 है. चक 2 डीएलपी खाता संख्या 10/7 पं.नं. 165/191 मु.नं. 37 किला नं. 6/0.228 है. 7,8,9,10/0.253 है.प्र. गै.मु./0.025 है. पं. नं. 164/191 मु.नं. 38 किला नं. 13/0.241 है. प्रतिवादी संख्या 5 के हक हिस्सा की कृषि भूमि चक नं. 2 एनजीआर खाता संख्या 66/65 पं.नं. 184/210 मु.नं. 9 किला नं. 16,17/0.253 है.प्र. चक 2 एनजीआर खाता संख्या 34/36 पं.नं. 185/210 मु.नं. 10 किला नं. 2/0.253 है. 3,8/0.076 है.प्र. चक 13 एसबीएन खाता संख्या 63/108 पं.नं. 174/209 मु.नं. 34 किला नं. 20/0.253 है. 21/0.215 है. गै.मु. 0.038 है. प्रतिवादी संख्या 6 के हक हिस्सा की कृषि भूमि चक 2 एनजीआर खाता संख्या 34/36 पं.नं. 185/210 मु.नं. 10 किला नं. 3/0.177 है. 4,7/0.253 है. प्र. 8/0.177 है. 13,14/0.253 है. प्र. प्रतिवादी संख्या 14 के हक हिस्सा की कृषि भूमि चक 2 डीएलपी खाता संख्या 9/6 पं.नं. 173/189 मु.नं. 11 किला नं. 21/0.253 है. पं.नं. 172/189 मु.नं. 12 किला नं. 23,24,25/0.253 है.प्र.

प्रतिवादी संख्या 16 का चक 10 एसबीएन के खाता संख्या 121/112 में 0.506 है. व चक नं. 2 एनजीआर के खाता संख्या 66/65 में से 0.127 है.कम कर चक नं. 2 एनजीआर के खाता संख्या 34/30 में 0.633 है. भूमि का हिस्सा बढ़ाये जाने एवं निम्नानुसारखाता अलग कायम किया जाने के आदेश दिये जाते हैं:-

चक 10 एसबीएन खाता संख्या 121/112 पं.नं. 184/208 मु.नं. 75 किला नं. 17,19,22/0.253 है.प्र. पं.नं. 184/209 मु.नं. 84 किला नं. 2,3,25/0.253 है.प्र. पं.नं. 185/209 मु.नं. 83 किला नं. 21,22/0.253 है.प्र. कुल कृषि भूमि 2.024 है. चक 2 एनजीआर के खाता संख्या 66/65 पं.नं. 184/210 मु.नं. 9 किला नं. 3,4,5/0.228 है. प्र. 6,7,14,15/0.253 है.प्र. पं.नं. 185/210 मु.नं. 10 किला नं. 1/0.228 है. 9,10,11,12,20/0.253 है.प्र. गै.मु. 0.101 है. कुल कृषि भूमि 3.289 है. मय गै.मु. नोट:- उक्त आराजी पर बैंक ऋण की स्थिति में रहन मुक्त होने के पश्चात् उक्तानुसार राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद किया जावे। खर्चा पक्षकारान अपना-अपना वहन करेंगे।

निज.....नल.....मुब्लिक.....निल.....बाबत्.....निल.....खर्चा मुकदमें के मय शुद वा शरह फीसदी सालाना आज की तारीख वसूलयाबी तक..... अदा करें।

बसब्त मेरे दस्तख्त एवं मुहर अदालत से आज दिनांक 27.09.2019 को जारी किया गया।

(उम्मेद सिंह रतनू)
सहायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी,संगरिया

